पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर बुचावास

अनुवान राज कंवर बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या –2070/2025

निर्णय दिनांक 03/07/2025

राज कंवर पुत्र भंवर लाल जाति जाट निवासी बुचावास तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर बुचावास में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 141 खसरा नं. 270 तादादी 4.9023 हैक्ट., खसरा नं. 271 तादादी 3.3889 हैक्ट., भूमि रोही ग्राम तोगावास व खाता संख्या 605 खसरा नं. 2919/942 तादादी 1.7197 हैक्ट., खसरा नं. 2920/1582 तादादी 3.6923 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम बुचावास में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थीनी का नाम राजकोर दर्ज है जो कि गलत है सही नाम राज कंवर है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थीनी का नाम राज कंवर किये जाने की अभिशंषा की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम तोगावास तहसील तारानगर के खाता संख्या 141 खसरा नं. 270 तादादी 4.9023 हैक्ट., खसरा नं. 271 तादादी 3.3889 हैक्ट., भूमि रोही ग्राम बुचावास के खाता संख्या 605 खसरा नं. 2919/942 तादादी 1.7197 हैक्ट., खसरा नं. 2920/1582 तादादी 3.6923 हैक्ट. तहसील तारानगर के भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीनी का नाम राजकोर Delete कर इसके स्थान पर राज कंवर अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/07/25 को कैम्प कोर्ट बुचावास में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)